संशोधित

# कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ18(70)एफसीए/उवसं/2023–24/ 1281 दिनांक :– 10/02/24

निमित्त,

प्रयोजना निदेशक(पीपीपी),
PWD PPP-1 DIVISION, AJMER

विषयः– Diversion of 1.2401 hectare forest land for development of Arain-Sarwad Highway, Section of SH-7E, from existing km 44.300 to km 0.00, in State of Rajasthan, Proposal No. FP/RJ/ROAD/21362/2016

संदर्भः– अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्रांक 121 दिनांक 11.01.2024 (कार्यात्य को प्राप्त दिनांक 25.01.2024)के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्र से विषयान्तर्गत प्रकरण मे उच्च कार्यालय द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय गांधी नगर के पत्र दिनांक 13.09.2023 से प्रकरण मे जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की है । अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अलग–अलग चार प्रतियों में मय सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रो (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रो की प्रति भिजवावें एवं मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

| क्र. सं. | भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय गांधी नगर के पत्र दिनांक 13.09.2023 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 के अनुसार नवीन एन पी वी राशि | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि | वि.वि. |
|---|---|---|---|
| 1 | शर्त बिन्दु संख्या ए 1,बी 3 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.25 है0 गैर वन भूमि खसरा संख्या 821/754 ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर मे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरो को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online submission & Monitoring of Forest & Wildlife clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करानी है। इस हेतु मॉडल अनुसार 1.25 हैक्टर एनएफएल प्रारम्भिक रूप से रक्षित घोषित(संख्या प.2(29)वन/2023 जयपुर अक्टूबर 12, 2023)वनखण्ड सवाईपुरा–2 में वृक्षो के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव करने हेतु राशि 2,47,620/– ली गई। इसमें से 150 मीटर पक्की दीवार का निमार्ण वन क्षेत्र की सीमा पर करने के कारण फेन्सिग की राशि 16236.75/– कम करने से कुल मांग राशि 2,31,383/- | 2,31,383/- | कुल राशि रू. **29,69,126/–** को OSMFWCP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा कराई जावे। |
| 2 | शर्त बिन्दु संख्या ए 3, अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफसी दि.05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 द्वारा जारी नवीनतम (एनपीवी) दरे अनुसार एनपीवी राशि को समायोजित करते हुए डिमांड राशि निम्नानुसार हैः–1.2401 ha. x 957780 = 11,87,743/- | 11,87,743/- | |
| 3 | शर्त संख्या सी–2 के क्रम में 6 फीट की दीवार का निमार्ण आवंटित गैर वन भूमि पर किया जाना है। चुंकि ग्राम सवाईपुरा में 1.25 है0 के अतिरिक्त निकट भूमि में अन्य प्रकरण में 5.0 है0 तथा 4.47 है0 गैर वन भूमि का आंवटन वन विभाग के नाम हो चुका है। अतः इसी क्रम में नवीन आंवटित गैर वन भूमि पर बाहरी वन सीमा रेखा पर 150मीटर की दीवार निर्माण हेतु नवीन मॉडल अनुसार 6 फीट दीवार हेतु कुल राशि 6,00,000/– होगी। उक्त क्षेत्र में 150 मीटर बाहरी वन सीमा है तथा 350 मीटर आंतरिक वन सीमा है। | 6,00,000/- | |
| 4 | शर्त संख्या सी–3 के क्रम में वृक्षारोपण गैर वन भूमि हेतु सोलर पम्प मय मोटर एवं अन्य फिटिग, बोरिग मय पाईप एवं अन्य फिटिग, पानी का टैक पौधो को पानी पिलाने हेतु कुल 9,50000/– की अनुमानित राशि होगी। | 9,50,000/- | |
| | क्र.सं. 1 व 4 का योग राशि | **29,69,126.00** | |

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) एवं सभी बिन्दुओ की पालना मय अण्डरटेकिंग प्रेषित की जाये। इसके अतिरिक्त 01 वृक्ष हेतु राशि 50 रूपये का डिमांड ड्राफ्ट उप वन संरक्षक, अजमेर के नाम बनवाया जाकर जमा कराया जावे।

उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :–सम/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. क्षेत्रीय वन सरवाड़ को प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही हो जाती है तब तक किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नही होने देना सुनिश्चित करे।

उप वन संरक्षक
अजमेर